राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः प.2(896)सूप्रौ/संस्था/11/पार्ट-1/21 जयपुर, दिनांक : 20-01-2022

कार्यालय आदेश

विभाग की कैडर स्ट्रेन्थ के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को लेख है कि अपना अचल सम्पत्ति का विवरण, 01 जनवरी, 2022 की स्थिति में, स्वयं के एसएसओ-आईडी लॉगिन से राज-काज सॉफ्टवेयर के आईपीआर मोडयूल में दिनांक 31 जनवरी, 2022 से पूर्व आवश्यक रूप से भरें। दिनांक 31.01.2022 के बाद आईपीआर भरे जाने संबंधी ऑपशन कार्मिक विभाग द्वारा बंद (close) कर दिया जावेगा। पूर्व में भी, इस हेतु समस्त कार्मिकों को उनके राजकीय ई-मेल, एसएमएस एवं दूरभाष द्वारा सूचित किया गया है।

अतः समस्त संबंधित कार्मिक, जिन्होंने अभी तक अपना अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं भरा है, वह दिनांक 31.01.2022 से पूर्व अपना अचल सम्पत्ति का विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर के आईपीआर मॉडयूल से आज ही भरा जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा विभाग द्वारा उनको विजीलेंस क्लीयरेंस नही दी जावेगी तथा पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर भी विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

(सुनील छाबड़ा)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान।
4. महा प्रबंधक (प्रशासन), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को पालनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की वेबसाईट पर एम्पलाई कॉर्नर ऑपशन में अपलोड करने हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव